सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	फाल्गुन 23, शुक्रवार, *शाके* 1941–मार्च 13, 2020 *Phalguna 23, Friday, Saka 1941–March 13, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप- खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशो, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-2

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 23, 2020

जी.एस.आर.97 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) (I- संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन:- राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001 से संलग्न अनुसूची में शीर्ष **"श्रम विभाग अनुभाग"** में क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

> "100 प्रतिशत, जिसमें से 12.5 प्रतिशत पद श्रम विभाग के अधिष्ठायी लिपिक वर्गीय स्टाफ के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। किसी वर्ष-विशेष में लिपिक वर्गीय स्टाफ में से पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।"

[सं. एफ. 7(1)डीओपी/ए-।।/2016]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
जय सिंह,
उप शासन सचिव ।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr.II)

NOTIFICATION

Jaipur, January 23, 2020

G.S.R.97 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Subordinate Services (Recruitment and Other Service Conditions) Rules 2001, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Subordinate Services (Recruitment and Other Service Conditions) (I-Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of Schedule.- In Schedule appended to the Rajasthan Subordinate Services (Recruitment and Other Service Conditions) Rules, 2001, under the heading "LABOUR DEPARTMENT SECTION", the existing entries in column number 3, against serial number 1 shall be substituted by the following, namely:-

"1	100% out of which 12.5% of the posts shall be reserved for substantive ministerial staff of the labour department. In the event of non-availability of eligible and suitable candidate amongst the ministerial staff in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure."	

[NO. F.7(1) DOP/A-II/2016]
BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR,
JAI SINGH,
DY. SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।